न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सीगा मुन्तकिली प्रकरण सं0 105/2023 (GCMS 2023/235)

1. **श्योपत राम** पुत्र श्री सुरजा राज जाति नाई निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

बनाम

1. **स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उपखण्ड एवं आवंटन अधिकारी, सूरतगढ़**

08.11.2023

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश मक्कड़ उपस्थित हुए और फर्द अहकाम के हाशिये पर नॉट प्रैस (Not Press) अंकित कर निवेदन किया कि वे उक्त पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है, इसलिए उनकी पत्रावली इसी आधार पर दाखिल दफ्तर कर दी जाये तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ के न्यायालय के प्रकरण संख्या 10/2022 अनवानी श्योपत बनाम स्टेट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने के लिए यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया था। अब चूंकि वह आगे इस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी श्योपतराम द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय में पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.11.17 16:31:19 IST
Reason: SelfAttested